

संतकबीरनगर पुलिस द्वारा किए गये सराहनीय कार्यों का विवरण

अवैध रूप से लकड़ी की ढुलाई करने के मामले में एक अभियुक्त गिरफ्तार

थाना मेहदावल पुलिस द्वारा एक अदद ट्रैक्टर पावरट्रेक 4455 डीएस बिना नम्बर व बहबोल की लकड़ी लदी हुई ट्राली के साथ एक अभियुक्त नाम पता सोनू यादव पुत्र योगेन्द्र यादव निवासी साड़े खुर्द थाना मेहदावल जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर थाना मेहदावल पर मु0अ0सं0 261/19 धारा 3/28 ट्रान्जिट एक्ट पंजीकृत किया गया।

पीआरवी आफ द ☐

पीआरवी 2545 ने घायल को पहुंचाया अस्पताल – पीआरवी 2545 को थाना कोतवाली खलीलाबाद क्षेत्र के अन्तर्गत इवेन्ट संख्या 11827 से कालर ने दुर्घटना में एक व्यक्ति के घायल होने के सम्बन्ध में सूचना दी। इस सूचना पर पीआरवी कर्मियों द्वारा तत्काल 04 मिनट में मौके पर पहुंचकर घायल को पीआरवी से अस्पताल पहुंचाया गया तथा थाना कोतवाली खलीलाबाद को सूचित किया गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता एवं सूझबूझ से घटनास्थल पर समय से पहुंचकर घायल की जान बचाई गयी, जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गयी।

पीआरवी स्टाफ- मुख्य आरक्षी हरिद्वार सिंह, आरक्षी सतवंत शाही, होमगार्ड चालक सुनील पाण्डेय।

शान्ति भंग (151/107/116 सीआरपीसी) में 14 अभियुक्त गिरफ्तार

- थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा 151/107/116 सीआरपीसी में 11 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
- थाना मेहदावल पुलिस द्वारा 151/107/116 सीआरपीसी में 02 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
- थाना बखिरा पुलिस द्वारा 151/107/116 सीआरपीसी में 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 30 वाहनो से 21700 रु0 सम्मन शुल्क वसूल

आज दिनांक 13-10-2019 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो में बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 30 वाहनो से 21700 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

एन्टी रोमियो अभियान के अन्तर्गत की गयी कार्यवाही

आज दिनांक 13-10-2019 को जनपदीय पुलिस व एन्टी रोमियो टीम द्वारा मनचले / रोमियो चेकिंग के दौरान 19 स्थानों पर चेक करते हुए कुल 58 व्यक्तियों को चेक किया गया जिसमे से मनचले व शोहदे किस्म के लड़को से पूछताछ करने के पश्चात कड़ी चेतावनी देकर छोड़ा गया तथा हिदायत दी गई कि बिना किसी कारण के बाजारों व चौराहों के आसपास दोबारा घूमते हुए पाये जाने पर कड़ी वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।